न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/249/2015

उनवान

1. सत्यनारायण पिता खाजू खटीक, निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. ओमप्रकाश पिता खाजू खटीक, निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. दिनेश पिता खाजू खटीक, निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. श्रीमती कंकु बेवा खाजू खटीक, निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. मुकेश कुमार पिता देवनारायण खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा
2. धीरज कुमार पिता देवनारायण खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा
3. श्रीमती रतनी बेवा देवनारायण खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा
4. रामलाल पिता किशना खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा (फौत होने से नाम डिलिट 17.12.2019)
5. सोहन लाल पिता तोला खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा (फौत होने से नाम डिलिट 17.12.2019)
6. नानूराम पिता बगतावर खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

7. रामा पिता नारायण खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा (फौत होने से नाम डिलिट 17.12.2019)
8. खेमा पिता नारायण खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा
9. भॅवर लाल पिता नारायण खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा (फौत होने से नाम डिलिट 17.12.2019)

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण
संख्या 79/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.7.2015

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री राकेश सुराणा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 7.2.2020

अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गंगापुर के बेरून हल्के आबादी में वादीगणों एवं प्रतिवादीगणों की कृषि भूमियॉ खाता संख्या 419 में अंकित आराजी संख्या 1223/5 रकबा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 1223/3 रकबा 07 बिस्वा आराजी नम्बर 1223/4 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1223/1 रकबा 14 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1223/2 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा संवत 2033 से लगायत 2036 की जमाबंदी में वादीगण के पिता व पति स्व. खाजू जी खटीक के नाम पर 1/6 हिस्से से दर्ज थी व

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

उनके स्वर्गवास के उपरान्त वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन हुआ ।

2. स्व0 मूलचंद का उक्त भूमियों में 1/6 हक हिस्सा था, मूल चंद जी की मृत्यु के पश्चात जमाबंबदी में स्व0 देवनारायण का नाम अंकित हुआ । देवनारायण की मृत्यु के पश्चात विरासत से नामान्तरकरण प्रतिवादीगण मुकेश कुमार, धीरज कुमार, रतन देवी के नाम पर 1/6 हक हिस्सा दर्ज कर दिया गया । जबकि स्व0 मूल चंद द्वारा अपने हिस्से की आराजियात में से आराजी संख्या 1223/1 रकबा 10 बिस्वा जमीन नगर पालिका गंगापुर को विक्रय कर दी गई तथा यह रकबा नगर पालिका गंगापुर के नाम पर दर्ज हो गया । स्व0 मूलचंद जी द्वारा अपने हिस्से से अधिक रकबा नगर पालिका गंगापुर को विक्रय कर दिया गया , शेष बची भूमियों में मूलचंद जी का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा , फिर भी स्व0 मूलचंद जी के वारिसान के नाम शेष बची भूमियों में दर्ज कर रखा है जबकि प्रतिवादीगण मुकेश, धीरज कुमार, श्रीमती रतनी देवी का हिस्सा व अधिकार नहीं है।

ग्राम गंगापुरमें भू प्रबन्ध हो जाने से पुराने आराजी संख्या 1223/1 मीन रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के नये नम्बर 1322 रकबा 0.09 है0 व 1323 रकबा 0.24 है0 व 1322/2546 रकबा 0.11 है0 बने। आराजी संख्या 1223 में से स्व0 मूलचंद जी द्वारा 10 बिस्वा भूमि नगर पालिका गंगापु को बिल एवज 150/—रूपये में जरिये पंजीयन विक्रय कर दी गई। विक्रय सुदा भूमि नगर पालिका के खाते में दर्ज हो चुकी है , शेष रही भूमियों में स्व0 मूलचंद के वारिसान का कोई हक शेष नहीं रहता है जिससे प्रतिवादीगण मुकेश कुमार, धीरज , व श्रीमती रतनीदेवी का नाम रेवेन्यू रेकार्ड से हटाया जाना न्यायसंगत है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से वे वादग्रस्त भूमियों को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। कई बार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उनका नाम राजस्व रेकार्ड से हटवाने हेतु कहा तो वे टालमटोल करते रहे एवं दिनांक

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

20.3.2001 को कहा तो प्रतिवादीगण ने अपना नाम हटवाने से इंकार कर दिया ।

4. अतः वादग्रस्त भूमियों में से प्रतिवादीगण मुकेश कुमार धीरज कुमार एवं मु0 रतनी देवी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाावे तथा वादग्रस्त भूमियों में वादीगण को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। साथ ही इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी पारित की जावे कि वादग्रस्त भूमियों में वादीगण के 1/5 हिस्से व कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न किसी अन्य से करावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.7.2015 का निर्णय काफी देरी से टाईप होने से नकल हेतु पूर्व में आवेदन नहीं किया गया । निर्णय दिनांक 17.9.2015 को टाईप होने की जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया । नकल तैयार होकर दिनांक 15.12.2015 को प्राप्त हुई। क्योंकि निर्णय के पश्चात डिक्री काफी समय तक नहीं बनी और नकल भी काफी विलम्ब से प्रार्थीगण को प्राप्त हुई। इसलिए दिनिांक 29.7.2015 से 17.9.2015 तक का समय निर्णय टाईप होने में लगा और दिनांक 17.9.2015 से दिनांक 15.12.2015 तक का समय नकल तैयारी में लगा समय क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

8. अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने दिनांक 3.2.2020 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पता द्वारा नगर पालिका के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की । उक्त फोटो प्रति पहले अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के पास में नहीं होने से वे अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाये। बाद में जानकारी कर विक्रय पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की जा रही है । उक्त दस्तावेज फर्जी होने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा उनके हिस्से की भूमि नगरपालिका गंगापुर को विक्रय कर दी गई थी। इसलिए अब उनका वादग्रस्त आराजियात में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहता है। उक्त दस्तावेज अहम दस्तावेज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज को रेकार्ड पर लिया जावे।

अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण ने गंगापुर की साबिक आराजी नम्बर 1223/5, 1223/4, 1223/3 1223/1, 1223/2 कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा साबिक आराजी नम्बर में से मूलचंद, राम लाल पिता किशना 1/3, खाजु, सोहन पिता तोला 1/3, नारायण पिता पोखर 1/3 हिस्सेदार थे। नारायण के बजाय बगतावर, रामा खेमा, भॅवर पिता नारायण दर्ज हुआ और खाजु के बजाय अपीलार्थीगण का नाम दर्ज हुआ। साबिक आराजी नम्बर 1223/1 मीन रकबा 10 बिस्वा नगर पालिका गंगापुर के नाम दर्ज हुआ जो साबिक आराजी नम्बर में से बिकाव से नगर पालिका गंगापुर के नाम दर्ज हुआ जो बिकाव मूलचंद जी ने किया । इसलिए मूलचंद जी का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा एवं अधिकार शेष नही रहा । परन्तु मूलचंद जी की मृत्यु के उपरान्त विरासत से नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हो गया जा गलत दर्ज हुआ है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

होने से प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की नियत में फितुर पैदा हो गया और वह आराजियात को बेचान करने पर आमादा हो गये जिसका प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वज मूलचंद जी ने अपना हक हिस्सा पूर्व में ही विक्रय कर दिया इसलिए उनका हक हिस्सा नहीं रहता है और प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने का वाद पत्र अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में रेकार्ड पर आई साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही अपीलार्थीगण का वाद पत्र खारिज करने में भारी विधिक भूल की है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का नाम हटाये जाने के साथ ही शेष आराजी में वादीगण का 1/5 हक हिस्से से दर्ज किये जाने की घोषणा का वाद पत्र भी प्रस्तुत किया था और इस हेतु अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी की नकल एवं नामान्तरकरण की नकल आदि प्रस्तुत कर वाद पत्र को साबित कराया था जिसके खण्डन में कोई साक्ष्य नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण का वाद पत्र खारिज करने में भारी विधिक भूल की है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने लोक अदालत में कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया । अपलार्थीगण ने गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को लोक अदालत में रखकर बिना कोई राजीनामा हुए एवं प्रत्यर्थीगण की भी अनुपस्थिति के बावजूद भी अपीलार्थीगण का वाद पत्र लोक अदालत में रखकर बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये बहस में समायत नहीं कर मनमकसूद तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया । जिसका निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय ने काफी समय तक नहीं लिखवाया और काफी समय तक पिछली तारीख में निर्णय पारित

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

कर दिया । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने मौखिक साक्ष्य में ओमप्रकाश के बयान लेखबद्ध कराये और नामान्तरकरण की जमाबंदी की नकलें प्रस्तुत कर साबित कराया कि मूल चंद जी ने जो आराजी नम्बर 1223/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि नगर पालिका गंगापुर को विक्रय कर दी और मूल चंद जी ने अपने हक हिस्से से अधिक आराजी का विक्रय कर दिया। जिससे सम्पूर्ण खाते में से आराजी संख्या 1223/1 मीन को विक्रय कर दिया जो बिना किसी अधिकार के विक्रय किया है जो हक हिस्से से अधिक विक्रय है। इसलिए उक्त शेष आराजी के खाते में से मूलचंद जी के वारिसान का नाम हटाये जाने एवं घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया जो साक्ष्य से साबित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का सही विवेचन नहीं कर वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भू प्रबन्ध के बाद बने आराजी नम्बर 1322/2546, 1322 1323 पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का मूलचंद जी के जीवनकाल से ही उक्त नम्बरों के साबिक नम्बर पर से ही मूलचंद जी द्वारा आराजी संख्या 1223/1 विक्रय किये जाने के बाद कभी भी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग नहीं रहा केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज है। परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है इसलिए वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का नाम हटाये जाने का निवेदन किया । वादीगण ने साक्ष्य से वाद पत्र को साबित कराया है जिसके रिबटल में कोई साक्ष्य नही होते हुए भी जमाबंदी के इन्द्राज को मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण के वाद पत्र को खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

डिक्री को निरस्त किया जावे तथा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

14. प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

15. हमनें अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद माने जाने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सदभाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

16. अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत की जिसके साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा पूर्व में अपने हिस्से की भूमि नगर पालिका गंगापुर को विक्रय किये जाने की पंजीकृति रजिस्ट्री की फोटो प्रति प्रस्तुत की एवं उसे रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया । उक्त दस्तावेज प्रकरण से रिलिवेण्ट है एवं उक्त दस्तावेज फर्जी होने का कोई अंदेशा नहीं है। इसलिए न्यायहित में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज को रेकार्ड पर लिया गया।

17. वादग्रस्त गंगापुर की साबिक आराजी नम्बर 1223/5, 1223/4, 1223/3 1223/1, 1223/2 कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा साबिक आराजी नम्बर में से मूलचंद, राम लाल पिता किशना 1/3, खाजु, सोहन पिता तोला 1/3, नारायण पिता पोखर 1/3 हिस्सेदार थे। नारायण के बजाय बगतावर, रामा खेमा, भॅवर पिता नारायण दर्ज हुआ और खाजु के बजाय अपीलार्थीगण का नाम दर्ज हुआ। साबिक आराजी नम्बर 1223/1 मीन रकबा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
सदस्य एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

10 बिस्वा नगर पालिका गंगापुर के नाम दर्ज हुआ जो साविक आराजी नम्बर में से बिकाव से नगर पालिका गंगापुर के नाम दर्ज हुआ जो बिकाव मूलचंद जी ने किया । बिकाव के उपरान्त उक्त विक्रय सुदा आराजी नगर पालिका गंगापुर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुकी है।

18. अपीलार्थीगण/वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में ओमप्रकाश के बयान लेखबद्ध कराये और नामान्तरकरण की जमाबंदी की नकलें प्रस्तुत कर साबित कराया कि मूल चंद जी ने जो आराजी नम्बर 1223/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि नगर पालिका गंगापुर को विक्रय कर दी और मूल चंद जी ने अपने हक हिस्से से अधिक आराजी का विक्रय कर दिया। जिससे सम्पूर्ण खाते में से आराजी संख्या 1223/1 मीन को विक्रय कर दिया जो हक हिस्से से अधिक विक्रय है। इसलिए उक्त शेष आराजी जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर वादग्रस्त आराजी संख्या 1223/1 रकबा 10 बिस्वा के विक्रय की रजिस्ट्री की फोटो प्रति प्रस्तुत नहीं होने से वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से उक्त बिकाव को सभी खातेदारान द्वारा विक्रय किया हुआ मानते हुए अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । अब चूंकि अपीलार्थीगण ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 जाब्ता दीवानी के साथ श्री मूलंचद जी द्वारा वादग्रस्त आराजी संख्या 1223/1 रकबा 10 बिस्वा के विक्रय की रजिस्ट्री की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा अपने हिस्से की भूमि नगर पालिका गंगापुर को बिल एवज 150/–रूपये मे विक्रय कर दिया जाना प्रमाणित है। वादग्रस्त भूमि नगर पालिका के नाम भी दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मूलचंद जी एवं उनके वारिसान का शेष आराजियात में कोई हक हिस्सा निहित नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगापुर

19. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.7.2015 को निरस्त किया जाता है एवं वादग्रस्त सांविक आराजी नम्बर 1322 रकबा 0.09 है0 व 1323 रकबा 0.24 है0 व 1322/2546 रकबा 0.11 है0 में से प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाने का आदेश दिया जाता है एवं अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात में 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण के 1/6 हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री मूर्तिव हो।

20. निर्णय आज दिनांक 7.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

1न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री के सी लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/249/2015

उनवान

1. सत्यनारायण पिता खाजू खटीक, निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. ओमप्रकाश पिता खाजू खटीक, निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. दिनेश पिता खाजू खटीक, निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. श्रीमती कंकु बेवा खाजू खटीक, निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. मुकेश कुमार पिता देवनारायण खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा
2. धीरज कुमार पिता देवनारायण खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा
3. श्रीमती रतनी बेवा देवनारायण खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा
4. रामलाल पिता किशना खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा (फौत होने से नाम डिलिट 17.12.2019)
5. सोहन लाल पिता तोला खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा (फौत होने से नाम डिलिट 17.12.2019)
6. नानूराम पिता बगतावर खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा
7. रामा पिता नारायण खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा (फौत होने से नाम डिलिट 17.12.2019)
8. खेमा पिता नारायण खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

9. भँवर लाल पिता नारायण खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा (फौत होने से नाम डिलिट 17.12.2019)

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 79/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.7.2015

—

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/249/2015 मे **उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती है:–

यह अपील तारीख 7.2.2020 को अपीलाण्ट की ओर से श्री राकेश सुराणा वकील एवं प्रत्यर्थीगण की अनुपस्थिति मे दिनांक 7.2.2020 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि:–

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.7.2015 को निरस्त किया जाता है एवं वादग्रस्त साविक आराजी नम्बर 1322 रकबा 0.09 है0 व 1323 रकबा 0.24 है0 व 1322/2546 रकबा 0.11 है0 में से प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाने का आदेश दिया जाता है एवं अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात में 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण के 1/6 हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे। इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 7.2.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.07 17:50:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: